फा. सं. 15-10/जीए/2016-एफ.एस.एस.ए.आई

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक संस्था)

(सामान्य प्रशासन प्रभाग)

एफ. डी. ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002

---

23 अक्टूबर, 2017

विषय : दिनांक 25 मई, 2017 को आयोजित प्राधिकरण की 23वीं बैठक का कार्यवृत्त

खाद्य प्राधिकरण ने दिनांक 21 सितंबर, 2017 को आयोजित 24वीं बैठक में दिनांक 25 मई, 2016 को एफ.डी.ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली में आयोजित अपनी 23वीं बैठक के कार्यवृत्त को अपनाया।

2. तदनुसार प्राधिकरण की 23वीं बैठक का कार्यवृत्त एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है।

हस्ता/-

(सुमेर सिंह मीणा)

सहायक निदेशक (सामान्य प्रशासन)

अनुलग्नक:

खाद्य प्राधिकरण की 23वीं बैठक का कार्यवृत्त (22 पृष्ठ)

दिनांक 25 मई, 2017 को एफ.डी.ए भवन, नई दिल्ली में 1100 बजे आयोजित
खाद्य प्राधिकरण की 23वीं बैठक का कार्यवृत्त

1. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) की 23वीं बैठक दिनांक 25 मई, 2017 के 1100 बजे एफ.डी.ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली में श्री आशीष बहुगुणा, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई की अध्यक्षता में हुई थी। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची **अनुबंध 1** पर दी गई है।

2. श्री आशीष बहुगुणा, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई ने बैठक में प्राधिकरण के सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण की बैठक पहले इसलिए आयोजित नहीं की जा सकी क्योंकि गैर-सरकारी सदस्यों का नामन हो जाने से प्राधिकरण का पूरा पुनर्गठन होने की संभावना थी। परंतु ऐसा न हो सकने के कारण यह बैठक कम सदस्यों से की जा रही है, ताकि इसके आयोजन में और अधिक देरी न हो। अध्यक्ष महोदय ने सहभागिता के लिए सभी सदस्यों, औद्योगिक संगठनों और विशेष आमंत्रितों के प्रति आभार व्यक्त किया।

मद सं0 I :
20 दिसंबर, 2016 को हुई पिछली (22वीं) बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

22वीं बैठक का कार्यवृत्त सभी सदस्यों को परिचालित किया गया था। कार्यवृत्त पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। कार्यवृत्त का अनुमोदन कर उसे अपना लिया गया।

मद सं0 II : खाद्य प्राधिकरण की 22वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

खाद्य प्राधिकरण के सदस्यों के समक्ष खाद्य प्राधिकरण की 22वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

कार्यसूची की मद सं0 22.1 (iv) (ञ) के संबंध में प्राधिकरण ने डॉ. वी. प्रकाश की जगह ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना को एसोशिएट प्रोफेसर डॉ. नीरज वर्मा को जीन-परिवर्तित जीवाणुओं और खाद्यों के वैज्ञानिक पैनल के सदस्य के रूप में शामिल करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। डॉ. वी. प्रकाश ने पैनल से अपना नाम वापस ले लिया था।

मद सं0 III : मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट

श्री पवन अग्रवाल, सी.ई.ओ, एफ.एस.एस.ए.आई ने सदस्यों को कार्यसूची के नए प्रारूप के बारे में बताया। उन्होंने सदस्यों को 'भारत में खाद्य सुरक्षा और पोषण परिदृश्य में बदलाव' नामक एफ.एस.एस.ए.आई की नई पुस्तक के विमोचन के बारे में बताया, जिसमें प्राधिकरण के लिए भविष्य

के लिए मार्गदर्शन दिया गया है। उन्होंने इस संबंध में सदस्यों से सम्मतियाँ/सुझाव देने को कहा। उन्होंने यह भी बताया कि मानक-निर्धारण, परीक्षण तथा अनुपालन के अतिरिक्त प्राधिकरण खाद्य के पोषणिक पहलुओं पर ध्यान देकर नागरिकों को सुरक्षित तथा स्वास्थ्यकर खाद्य सुनिश्चित कराने के अधिदेश को पूरा करने के लिए कई गतिविधियाँ हाथ में ले रही हैं। उन्होंने सदस्यों को टाटा ट्रस्ट के सहयोग से हाल ही में स्थापित खाद्य पोष्टिकीकरण संसाधन केंद्र (एफ.एफ.आर.सी) सहित खाद्य पोष्टिकीकरण के लिए किए गए कार्यों के बारे में अद्यतन जानकारी दी।

मद सं0 IV: कार्यसूची की मदें

कार्यसूची की मद सं0 23.1

खाद्य मानक -

क. नए विनियम खाद्य सुरक्षा और मानक (एल्कोहलीय पेय) विनियम, 2017 का अनुमोदन;

क) अंतिम अधिसूचना:

(1) खाद्य सुरक्षा और मानक (एल्कोहलीय पेय) विनियम, 2017

निम्नलिखित चर्चा हुई:

(क) सुश्री मीतू कपूर, प्राधिकरण की पूर्व सदस्य और विशेष आमंत्रिति ने अल्प एल्कोहल अंश वाले तैयार पेय पदार्थों को शामिल न किए जाने, संलग्न सारणी में मानों में परिवर्तन और कोई प्रसंस्करण सहायक सामग्री पशु मूल की होने पर मांसाहार 'लोगो' के प्रदर्शन सहित एलर्जेन चेतावनी देने की आवश्यकता संबंधी मुद्दे उठाए। यह स्पष्ट किया गया कि विनियम में अल्प एल्कोहलीय अंश वाले तैयार पेय पदार्थ शामिल किए गए हैं। सारणी में मानों को सही करने पर भी सहमति हुई जिसमें वे टंकण की भूलों के कारण गलत दिए गए हैं। मांसाहार मूल की प्रसंस्करण सहायक सामग्रियों के संबंध में सदस्यों को उनके एल्कोहलीय पेयों के साथ-साथ अन्य खाद्य उत्पादों में उपयोग के दृष्टांत बताने के लिए कहा गया, जिससे प्रस्तावित कदम के प्रभावों को पूरी तरह जाना जा सके। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय को अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत किया गया।

(ख) फिक्की से सुश्री मौसमी रॉय, विशेष आमंत्रिति ने बताया कि प्रस्तावित अधिसूचना में टेकिला जैसी कुछ विशेष श्रेणियाँ लुप्त हैं। यह स्पष्ट किया गया कि ये श्रेणियाँ आधान-आसुत स्प्रिटों में पहले

ही शामिल हैं। यह भी स्पष्ट किया गया कि इन विनियमों में भौगोलिक संकेतों संबंधी मुद्दे शामिल नहीं किए गए हैं, क्योंकि उन्हें बौद्धिक सम्पदा अधिकार संबंधी संगत अधिनियम में कवर किया जाएगा।

(ग) यह निर्णय लिया गया कि विनियमों के विषय-क्षेत्र और कवरेज के बारे में शंकाओं का समाधान एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट पर एफ.ए.क्यू के माध्यम से किया जाए।

(घ) इन मानकों को आबकारी विभाग की अपेक्षाओं के अनुरूप 1 अप्रैल से लागू करने का निर्णय लिया गया।

यह नोट किया गया कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिका सं0 (सी)8962/2016 और याचिका सं0 (सी)2166/2017 में निर्देश दिया है कि एफ.एस.एस.ए.आई याचिकाकर्ताओं को एल्कोहलीय बीवरेज मानकों के बारे में सुनवाई का अवसर दे। तदनुसार याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिया जाए और अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से अधिसूचना को अंतिम रूप देने से पहले उनकी सम्मतियों/सुझावों, जो भी उचित हों, पर ऊपर (क) से (घ) में दिए गए संशोधनों के साथ विचार किया जाए।

ख. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 संबंधी खाद्य मानकों का अनुमोदन;

क) अंतिम अधिसूचनाएँ:

1) दूध और दुग्ध उत्पाद;

प्राधिकरण ने नोट किया कि अंतिम अधिसूचना का प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के बाद मंत्रालय को पहले ही भेजा जा चुका है। चर्चा के दौरान निम्नलिखित अवलोकन किए गए:

(क) घी के मानकों के बारे में यह ध्यान में लाया गया कि परऑक्साइड का 0.6 मान (ऑक्सीजन/किग्रा वसा का मिलि समतुल्य), अधिकतम, एफ.एस.एस.आर में यथानिर्धारित 3% मुक्त वसीय अम्ल मान के घी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि इस मामले की जाँच की जाए और इसी दौरान घी के संबंध में मौजूदा उपबंधों को रखते हुए मानकों को अधिसूचित किया

जाए। यह भी सुझाव दिया गया कि भारत को घी के मानकों के पुनरीक्षण के संबंध में कोडेक्स एलीमेंटेरियस कमिशन को नया कार्य प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए।

(ख) सुश्री मीतू कपूर ने क्रीम के मानक में क्रीम के वर्तमान श्रेणीकरण अर्थात् अल्प वसा क्रीम; मध्यम वसा क्रीम और उच्च वसा क्रीम को रखने का सुझाव दिया, क्योंकि बाजार में उत्पाद इसी श्रेणीकरण के अनुसार उपलब्ध कराए जाते हैं। आगे अल्प वसा क्रीम के वर्तमान प्रस्ताव में मौजूदा मानकों में कमी कर दिए जाने को देखते हुए इसमें दुग्ध वसा अंश को भारानुसार 10 से 40 प्रति शत तक की रेंज में रखने के लिए इसे कम करने का सुझाव दिया गया। सलाहकार (विनियम) ने बताया कि इस मामले पर दूध और दुग्ध उत्पाद वैज्ञानिक पैनल द्वारा चर्चा की गई थी, जिसने महसूस किया कि इससे उपभोक्ताओं को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं होगा और यह केवल कारोबारियों के लिए ही लाभदायक होगा। अध्यक्ष महोदय ने महसूस किया कि क्रीम में वसा अंश का लेबल लगाना सूचनात्मक होगा और उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक होगा। प्राधिकरण ने दोनों प्रस्तावों पर सहमति प्रकट की।

(ग) आगे सुश्री मीतू कपूर ने दुग्ध पाउडर और क्रीम पाउडर के मानक (उप-विनियम 2.1.10) के विवरण में 'योजित व्हे' शामिल करने का सुझाव दिया क्योंकि यह उसका स्वाभाविक अंश है और प्राधिकरण ने इस पर सहमति प्रकट की।

(घ) सुश्री मीतू कपूर ने मानकों में सहयोज्य पदार्थों की सारणियों के संदर्भ का मुद्दा उठाया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सुझाव दिया कि सहयोज्य प्रकार्यात्मक श्रेणी से संबंधित सारणी को सहयोज्य संबंधी विनियमों में प्रजातिगत उल्लेख का समावेश करके प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिससे मौजूदा मानकों में सहयोज्य पदार्थों का उपयोग खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य पदार्थ) विनियम के 'परिशिष्ट-क' की संबंधित सारणियों के पूरी तरह अनुरूप हो जाए।

(ङ) सुश्री कपूर ने यह भी सुझाव दिया कि दूध के मानकों में यह स्पष्ट करने के लिए एक टिप्पणी दे दी जाए कि वे केवल बिक्री स्थान पर ही लागू होंगे। इस पर सहमति व्यक्त की गई।

(च) आगे, गाय के दूध के अनुसार भैंस के दूध पर भी केवल एक मानक रखने का सुझाव दिया गया, जो पूरे देश में लागू हो। इस मुद्दे पर पैनल द्वारा बाद में चर्चा की जा सकती है।

प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का उपरोक्त परिवर्तनों के साथ यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

2) गैर-कार्बोनेटित जल आधारित पेय पदार्थ (गैर-एल्कोहलीय);

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

3) फल और सब्जी उत्पाद अधिसूचना दिनांक 16.08.1916;

इस मद पर चर्चा के दौरान निम्नलिखित अवलोकन किए गए:

(क) टमाटर के जूस के संबंध में यह स्पष्ट किया गया कि शीत-संपीडित/ताजा टमाटर के जूस के लिए वही मानक तब तक लागू रहेंगे जब तक शीत-संपीडित/ताजा टमाटर के जूस के लिए विशिष्ट मानक अधिसूचित नहीं कर दिए जाते।

(ख) जैम, फल जैली और मार्मलेड के संबंध में सुश्री मीतू कपूर ने सुझाव दिया कि कुल घुलनशील ठोस पदार्थों (टी.एस.एस.) की सीमा कोडेक्स के अनुरूप कर दी जाए। तदनुसार जैम के लिए टी.एस.एस. 'भारानुसार 65 से न्यून न होगी' और यह जैलियों तथा मार्मलेडों के लिए 'भारानुसार 60 से न्यून न होगी', जिन पर प्राधिकरण ने सहमति प्रकट की।

(ग) प्रशीतित फलियों, बंद गोभी, मटर और पालक के साइज इत्यादि के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि इन्हें खाद्य प्रंसस्करण मंत्रालय (MoFPI) तथा सी.आई.आई की सम्मतियाँ प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर अंतिम रूप दे दिया जाए। सम्मतियों पर एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा जाँच की जाए तथा अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से अंतिम निर्णय लिया जाए।

विस्तृत चर्चा के बाद प्राधिकरण ने डिब्बाबंद टमाटरों, टमाटर जूस; और जैम, फ्रूट जैलियों तथा मार्मलेडों की अंतिम अधिसूचनाओं का उपरोक्त संशोधनों के साथ अनुमोदन किया।

4) फल और सब्जी उत्पाद अधिसूचना दिनांक 15.11.2016;

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

5) धान्य और धान्य उत्पाद;

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर पाया कि टैपियोका साबूदाने के शर्करा अंश इत्यादि संबंधी कुछ मुद्दों का अभी हल नहीं हुआ है। संबंधित हितधारकों, जिनमें से अधिकांश तमिल नाडु से हैं, की सम्मतियाँ लेने का निर्णय लिया गया । इन पर अलग से विचार कर अधिसूचना जारी करने से पहले अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से अंतिम निर्णय लिया जाए।

6) मछली और मछली उत्पाद;

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

7) खाद्य सहयोज्य पदार्थ अधिसचूना दिनांक 25.10.2016;

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

8) खाद्य सहयोज्य पदार्थ अधिसचूना दिनांक 02.12.2016;

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर अंतिम अधिसूचना का सैद्धांतिक अनुमोदन किया। खाद्य सहयोज्य पदार्थों के मानकों के भा मा ब्यूरो के मानकों के साथ सुमेलन के संबंध में सुश्री मीतू कपूर के कुछ विचार थे और उन्होंने सम्मितयाँ देने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। यह निर्णय लिया गया कि सम्मतियों पर विचार करने और मानकों के सुमेलन के बाद अध्यक्ष महोदय अंतिम अधिसूचना का अनुमोदन कर दें।

9) तेल और वसा;

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

10) पशु प्रजातियों में पालतू खरगोश (*Oryctolagus cuniculus)* को शामिल करना

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

ख) मसौदा अधिसूचनाएँ:

1) **खीस और खीस उत्पाद;**
2) **कच्ची घानी की सरसों;**
3) **पाम ऑयल का द्रवण बिंदु;**
4) **एवोकेडो तेल;**
5) **पाम स्टीरिन;**
6) **पाम की गुठली की स्टीरिन;**
7) **पाम की गुठली की ओलीन;**
8) **सुपर ओलीन;**
9) **वनस्पति;**
10) **वनस्पति तेलों का परऑक्साइड मान;**
11) **टमाटर सॉस;**
12) **द्रुत-प्रशीतित फ्रेंच-फ्राइड आलू;**
13) **डिब्बाबंद बलूत और बलूत शोरबा;**
14) **खाद्य कवक उत्पाद;**
15) **आम स्तर की विभिन्न दालें;**
16) **छिलका और घाट बाजरा उत्पाद;**
17) **कोर्नफ्लेक;**
18) **विजर्मित मकई का आटा और मकई का दलिया;**
19) **कुसकुस;**
20) **टेम्पी;**
21) **संरचित सोया प्रोटीन (सोया बड़ी/सोया नगेट/सोया चंक/सोया के दाने);**
22) **सोया मिल्क (गैर-डेयरी);**
23) **टोफू;**
24) **साबूदाने का आटा;**
25) **मांस और मांस उत्पाद;**
26) **मत्स्य और मत्स्य उत्पादों पर कोडेक्स मानकों का अंगीकरण**
27) **कोको और शर्कराओं के शुष्क मिश्रण;**
28) **शहद;**

29) **मधु मोम;**

30) **रोयल जैली;**

31) **सौंठ पाउडर;**

32) **खनिज जल;**

33) **एफ.एस.एस.आर [खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियमों] में सहयोज्य पदार्थों के नए उपबंधों का योजन; और**

34) **मांस और मांस उत्पादों के लिए सूक्ष्म जैविक मानक।**

(क) प्राधिकरण ने कार्यसूची की उपर्युक्त मदों पर विचार किया। सुश्री मीतू कपूर के 'खीस और खीस उत्पादों' के बारे में कुछ विचार थे और इन पर अपनी सम्मतियाँ देने के लिए उन्होंने एक सप्ताह का समय मांगा, जिस पर प्राधिकरण ने सहमति व्यक्त की।

(ख) विस्तृत चर्चा के बाद प्राधिकरण ने (22) सोया मिल्क (गैर-डेयरी) और (23) टोफू को छोड़कर मसौदा अधिसूचना का अनुमोदन किया, क्योंकि 'सोया मिल्क' शब्द दूध की परिभाषा के विपरीत है और ये दोनों मानक कोडेक्स में नहीं हैं। इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने के लिए संबंधित वैज्ञानिक पैनल को अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।

ग. खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष, और अवशिष्ट) विनियम, 2011 के संबंध में खाद्य मानकों का अनुमोदन;

क) अंतिम अधिसूचना:

(1) साबूदाने में HCN की सीमाएँ

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर निर्णय लिया कि तमिल नाडु के संबंधित संगठनों से एक सप्ताह के अंदर सम्मतियाँ लेकर उन पर एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा जाँच की जाए तथा उनकी अधिसूचना जारी करने से पहले अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से अंतिम निर्णय लिया जाए।

ख) मसौदा अधिसूचना:

(1) सुपारी में एफ्लाटोक्सिन की सीमाएँ

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

घ. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजबंदी और लेबलिंग) विनियम, 2011 के संबंध में खाद्य मानकों का अनुमोदन

क) मसौदा अधिसूचना:

(1) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजबंदी) विनियम;

(2) खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग) विनियम; और

(3) खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम।

(क) संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग ने सदस्यों को विधिक मापविज्ञान पैकेजबंद वस्तु नियमों की लेबलिंग अपेक्षाओं को एफ.एस.एस.ए.आई की लेबलिंग अपेक्षाओं से सुमेलित करने के लिए की जा रही कार्रवाई से अवगत कराया। विभाग ने यह अपेक्षा की है कि विधिक मापविज्ञान पैकेजबंद वस्तु नियमों के अनुसार प्रस्तावित विनियम में प्रमुख डिस्प्ले पैनल में निवल मात्रा, अधिकतम खुदरा मूल्य, ग्राहक सेवा विवरण और समाप्ति तिथि संबंधी सूचना का उल्लेख हो। उनके एफ.एस.एस. (विज्ञापन और दाव) विनियम, 2017 के अंतर्गत सुधारात्मक विज्ञापन देने (उप-विनियम 5) के संबंध में कुछ विचार थे और उन्होंने सम्मतियाँ देने के लिए समय मांगा।

(ख) मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कुछ सीमा से अधिक जीन-परिवर्तित आहारों के लिए लेबलिंग अपेक्षाएँ रखने का प्रस्ताव किया, जिस पर प्राधिकरण द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

(ग) सीआईआई से सुश्री मीतू कपूर के लेबल पर घोषित पोषक तत्व के मानक के न्यूनतम 10% की सह्यता सीमा और "से पहले बेहतर/समाप्ति तिथि" के संबंध में कुछ विचार थे, जिनके संबंध में उन्हें मसौदा अधिसूचना स्तर पर अपनी सम्मतियाँ भेजने का परामर्श दिया गया।

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचनाओं का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

ङ **खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के संबंध में खाद्य मानकों का अनुमोदन;**

क) **अंतिम अधिसूचना:**

(1) **10 प्रति शत से न्यून दुग्ध वसा वाली क्रीम की बिक्री पर प्रतिषेध**

सलाहकार (विनियम) ने उल्लेख किया कि 10 प्रति शत से न्यून दुग्ध वसा वाली किसी भी चीज को क्रीम नहीं कहा जा सकता और इस उपबंध को विनियम से ही हटा देने का सुझाव दिया, जिसे प्राधिकरण ने मान लिया।

ख) **मसौदा अधिसूचना:**

(1) **मिश्र खाद्य वनस्पति तेल के लिए बोदोईं परीक्षण अपेक्षा को हटाना; और**

(2) **उप-विनियम 2.3.15 के खंड (3) का पुनरीक्षण – वनस्पति तेल और वसा की बिक्री के संबंध में विशेष प्रावधान**

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर मसौदा अधिसूचा का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कुछ खाद्य वस्तुओं पर भा मा ब्यूरो और विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (एग्मार्क) प्रमाणन की अनिवार्य अपेक्षाओं के बारे में बताया और संबंधित उपबंधों की पुनरीक्षा के लिए एक छोटा सा दल बनाने का प्रस्ताव किया। अध्यक्ष महोदय ने स्मरण दिलाया कि पहले उपभोक्ता मामले मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और एफ.एस.एस.ए.आई को खाद्य वनस्पति तेल को विनियमित करने का कार्य सौंपा गया था। डी.एम.आई (एग्मार्क) प्रमाणन अनिवार्य नहीं है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अधीन वनस्पति निदेशालय ने अपने नियमों को पहले ही निरस्त कर दिया है। प्राधिकरण ने भा मा ब्यूरो/एग्मार्क प्रमाणन की पुनरीक्षा करने के लिए दल के गठन तथा एफ.एस.एस.ए.आई के भा मा ब्यूरो तथा एग्मार्क से इंटरफेस का अनुमोदन किया।

च. अभिपुष्टि के लिए कार्यसूची की मदें;

क) खाद्य सुरक्षा और मानक (गैर-निर्दिष्ट खाद्य और खाद्य संघटकों का अनुमोदन) विनियम, 2017 के बारे में अंतिम अधिसूचना

प्राधिकरण ने नोट किया कि विनियमों की अंतिम अधिसूचना का प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के बाद मंत्रालय को पहले ही भेजा जा चुका है। सुश्री मीतू कपूर के 'गैर-निर्दिष्ट खाद्य' के बारे में कुछ विचार थे। जवाब में अध्यक्ष महोदय ने परिभाषा में 'मालिकाना खाद्य को छोड़कर' शब्द रखने का सुझाव दिया जिससे खाद्य उद्योग के भय को दूर किया जा सके। प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा और मानक (गैर-निर्दिष्ट खाद्य और खाद्य संघटक) विनियम, 2017 की इस संशोघन के साथ अभिपुष्टि की। यह नोट किया गया कि एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट पर एफ.ए.क्यू के विस्तृत उत्तर डालने की जरूरत है, जिससे इन विनियमों के बारे में खाद्य कारोबार के भय को दूर किया जा सके।

छ. विविध:

(1) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य पदार्थ) नौवाँ संशोधन विनियम, 2016 का विस्तार;

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य पदार्थ) नौवें संशोधन विनियम, 2016 के मालिकाना खाद्य से संबंधित उप-विनियम 2.12.1 के खंड (2) और (3) के विषय-क्षेत्र को राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एन.आई.एन), हैदराबाद द्वारा प्रकाशित भारतीय खाद्य संघटन सारणियाँ (आई.एफ.सी.टी), 2017 शामिल करके बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

(2) **"पोष्टित और समृद्ध खाद्य वैज्ञानिक पैनल" का नाम बदलकर "पोषण और पौष्टिकीकरण वैज्ञानिक पैनल" करना;**

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर वैज्ञानिक पैनल के पुनर्नामन का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(3) **प्रतिचयन और विश्लेषण पद्धतियाँ**

(क) खाद्य तेलों और वसाओं में कुल पोलर यौगिक आकलन की पद्धतियाँ;

(ख) दालचीनी में कुमारिन अंश आकलन की पद्धतियाँ;

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर 'खाद्य तेलों और वसाओं में कुल पोलर यौगिक; और 'दालचीनी में कुमारिन अंश' के आकलन की प्रस्तावित पद्धतियों का अनुमोदन किया।

(4) मछली और मछली उत्पादों के लिए मसौदा रीति संहिताएँ; और

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर मछली और मछली उत्पादों के लिए मसौदा रीति संहिताओं का अनुमोदन किया।

(5) खाद्य सहयोज्य पदार्थ, सुवासकारी सामग्रियाँ, प्रसंस्करण सामग्रियाँ और खाद्य-संपर्क सामग्रियाँ (केवल सूचना के लिए)

(क) विभिन्न खाद्य श्रेणियों में उपयोग के लिए सुवासकारी सामग्रियों की पुनरीक्षा

(ख) विभिन्न खाद्य श्रेणियों में उपयोग के लिए प्रसंस्करण सहायक सामग्रियों की पुनरीक्षा।

प्राधिकरण ने सूचना के लिए परिचालित कार्यसूची की मद को नोट किया।

कार्यसूची की मद सं0 23.2:

खाद्य सुरक्षा रीतियाँ

क) खाद्य सुरक्षा रीतियों के लिए तकनीकी पैनल; और

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कार्यसूची की ऐसी मदों को प्राधिकरण के समक्ष केवल सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एफ.एस.एस.ए.आई खाद्य सुरक्षा से संबंधित दिशा-निर्देशों तथा रीतियों के विकास सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए अपने क्षेत्र से बाहर के विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग उठाने के लिए स्वतंत्र है। एफ.एस.एम.एस प्रलेखों के बना लिए जाने पर इन्हें प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाए।

ख) छोटा बूचड़खाना स्थापित करने के लिए साफ-सफाई और स्वच्छता संबंधी न्यूनतम अपेक्षाएँ

यह सुझाव दिया गया कि 'छोटे बूचड़खानों पर लागू साफ-सफाई और स्वच्छता संबंधी न्यूनतम अपेक्षाओं' संबंधी दस्तावेजों को राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्तों, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, शहरी विकास

मंत्रालय, पशु पालन, डेयरी और मत्स्य उद्योग मंत्रालय को परिचालित किया जाए, जिससे उन पर उनकी सम्मतियों को शामिल किया जा सके, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 में संशोधन के लिए अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से मसौदा प्रस्तुत किया जाएगा।

कार्यसूची की मद सं0 23.3

खाद्य सुरक्षा अनुपालन

क) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य आयात) विनियम, 2017 में संशोधन के लिए प्रस्तावित मसौदा अधिसूचना;

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य आयात) विनियम, 2017 में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

ख) खाद्य सुरक्षा और मानक (तृतीय पक्ष खाद्य सुरक्षा ऑडिट) विनियम, 2017; और

प्राधिकरण ने नोट किया कि विनियमों की मसौदा अधिसूचना का प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के बाद मंत्रालय को पहले ही भेजा जा चुका है और खाद्य सुरक्षा और मानक (तृतीय पक्ष खाद्य सुरक्षा आडिट) विनियम, 2017 की पुष्टि की;

ग) राज्यों में खाद्य सुरक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए विश्व बैंक से तकनीकी सहायता

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर प्रस्तावित परियोजना का सिद्धांत रूप में अनुमोदन किया।

खाद्य परीक्षण और निगरानी

कार्यसूची की मद सं0 23.4:

1. **निम्नलिखित की पुष्टि –**

(क) एफ.एस.एस.ए.आई की खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की सूची;

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर अधिनियम की धारा 43(1) के अंतर्गत एन.ए.बी.एल प्रत्यायित 131 खाद्य प्रयोगशालाओं की अधिसूचना और धारा 43(2) के अंतर्गत 16 रेफरल प्रयोगशालाओं की अधिसूचना की पुष्टि की।

जहाँ तक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 72 खाद्य प्रयोगशालाओं का संबंध है, प्राधिकरण ने नोट किया कि ये खाद्य प्रयोगशालाएँ पी.एफ.ए. काल से

चली आ रही हैं और उन्हें एन.ए.बी.एल प्रत्यायन शीघ्र से शीघ्र लेने में समर्थ बनाने में उनकी अवसंरचना, उपकरण और क्षमता को सशक्त बनाने के लिए उनकी सहायता करने की आवश्यकता है। प्राधिकरण ने नोट किया कि इन प्रयोगशालाओं का केंद्रीय क्षेत्र की "देश में खाद्य परीक्षण तंत्र की सशक्तीकरण" योजना के अंतर्गत उन्नयन किया जा रहा है।

(ख) खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं/सुविधाओं को मान्यता और उनकी अधिसूचना;

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को मान्यता देने/प्रत्यायित करने/अन्य देशों में सक्षम प्राधिकारियों को पारस्परिक मान्यता देने की प्रस्तावित नीति का अनुमोदन किया।

(ग) खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 के नियम 2.4.2(7) में संशोधन; और

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर संशोधन की पुष्टि की।

(घ) खाद्य विश्लेषक परीक्षा बोर्ड का पुनर्गठन

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर खाद्य विश्लेषक परीक्षा बोर्ड के गठन की यथाप्रस्ताव पुष्टि की।

2. निम्नलिखित के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन –

क. खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं/सुविधाओं को मान्यता और उनकी अधिसूचना;

(क) प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार किया और अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई को खाद्य प्राधिकरण की तरफ से धारा 43 के अंतर्गत खाद्य प्रयोगशालाओं/अनुसंधान संस्थाओं और रेफरल खाद्य प्रयोगशालाओं को अधिसूचित करने/मान्यता देने तथा उसके बाद उसे पुष्टि के लिए प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

(ख) प्राधिकरण ने भारत में/भारत से बाहर की प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन और उनकी अधिसूचना के मसौदा विनियमों पर भी विचार किया और इनका आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुमोदन किया।

ख. अन्य अंतर्राष्ट्रीय विनियमात्मक संस्थाओं की अनुमोदित पद्धतियों के अपनी पद्धतियों में अंगीकरण के लिए उनके साथ द्विपक्षीय समझौते

प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विचार कर निर्णय लिया कि अन्य विनियमात्मक प्राधिकरणों से जब कभी उपयुक्त पद्धतियाँ प्राप्त हों, एफ.एस.एस.ए.आई उन्हें अपने पद्धति मैनुअल में अपना सकती है और वह मामले को अनुमोदन/पुष्टि के लिए खाद्य प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करे।

ग. क्षमता-निर्माण – भारत खाद्य संदर्भ प्रयोगशाला तंत्र की स्थापना

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर सैद्धांतिक रूप में राष्ट्रीय खाद्य संदर्भ प्रयोगशाला नेटवर्क के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। संयुक्त, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने एन.आई.एफ.टी.एम को इस नेटवर्क के अंग के रूप में शामिल करने का सुझाव दिया। इस पर सहमति व्यक्त की गई बशर्ते कि एन.आई.एफ.टी.एम पात्रता के मानदंड पूरा करे।

घ. मॉडल अभिन्यास

प्राधिकरण ने कार्यसूची के अनुबंध-VII और अनुबंध-VIII में दिए कायर्शालाओं के मॉडल अभिन्यासों पर विचार कर उनका अनुमोदन किया।

कार्यसूची की मद सं0 23.5:

स्वास्थ्यकर आहार

क) खाद्य पुष्टीकरण संसाधन केंद्र (एफ.एफ.आर.सी) पर अपडेट और टाटा ट्रस्ट्स के साथ करार के लिए अनुमोदन

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर देश में वृहद् स्तर पर खाद्य पुष्टीकरण के लिए सहयोग जुटाने में एफ.एफ.आर.सी द्वारा किए गए कार्य की सराहना की। प्राधिकरण ने खाद्य पौष्टिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई और टाटा ट्रस्ट्स के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

ख) खाद्य पौष्टिकीकरण और पोषण के लिए विश्व बैंक से तकनीकी सहायता

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर खाद्य पौष्टिकीकरण और पोषण के लिए विश्व बैंक से गैर-ऋण तकनीकी सहायता लेने के निर्णय की पुष्टि की।

ग) मानकीकृत दूध का पौष्टिकीकरण और पौष्टिकीकरण विनियमों का क्रियान्वयन

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर पौष्टिकीकरण के लिए धारा 3 की अनुसूची-1 में

मानकीकृत दूध को शामिल करने के निर्णय की पुष्टि की और पौष्टिकीकरण विनियमों के क्रियान्वयन का भी अनुमोदन किया।

कार्यसूची की मद सं0 23.6:

शासन और प्रशासन

क. मानव संसाधन और भर्ती नियमों की पुनर्संरचना संबंधी मामले (सूचना, पुष्टि और अनुमोदन के लिए);

क) एफ.एस.एस.ए.आई की बढ़ती अपेक्षाओं और कार्यात्मक आवश्यकताओं को देखते हुए प्राधिकरण ने एफ.एस.एस.ए.आई में स्टाफ, अधिकारियों और विशेषज्ञों की नियुक्ति ओर पारिश्रमिक पर लेने संबंधी कार्यसूची के पैरा 1.1 और 1.2 में वर्णित कार्यों को नोट कर उनकी पुष्टि की। प्राधिकरण ने अध्यक्ष को ठेके पर स्टाफ के पारिश्रमिक को तर्कसंगत बनाने तथा कार्य के आकलन और 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रखने संबंधी नीति सहित सभी संबंधित मामलों पर एक आंतरिक समिति गठित करने के लिए प्राधिकृत किया।

ख) प्राधिकरण ने कार्यसूची के नोट के पैरा 2.1 और 2.2 में उल्लिखित आईटी, निरीक्षण, एफ.एस.एम.एस, जोखिम विश्लेषण, आईईसी, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण इत्यादि क्षेत्रों के पदों में पर्याप्त वृद्धि करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप में अनुमोदित किया। प्राधिकरण ने अध्यक्ष महोदय को इस अपेक्षा को अंतिम रूप देने के लिए अधिकृत किया, जिससे इसे सरकार के साथ उठाया जा सके।

ग) प्राधिकरण ने कार्यसूची के नोट के पैरा 3.1 और 3.5 में उल्लिखित भर्ती नियमों की पुनर्संरचना करने के सामान्य सिद्धांतों का भी अनुमोदन किया, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पदों के वर्गीकरण, भर्ती अथवा नियुक्ति विधि, वेतनमान, भर्ती के मनदंड, अधिवर्षिता अथवा सेवा-निवृत्ति संबंधी प्रावधान शामिल हैं। प्राधिकरण ने अध्यक्ष महोदय को इन सिद्धांतों के आधार पर भर्ती नियमों की पुनर्संरचना करने के लिए प्राधिकृत किया, जिससे इन्हें सरकार को अनुमोदन के लिए भेजा जा सके।

ख. एफ.आर.एस.एल, गाजियाबाद में एफ.एस.एस.ए.आई टावर का निर्माण

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद को नोट कर कार्यालय स्थान, अतिथि गृह और आवासीय फ्लैटों के रूप में उपयोग के लिए एफ.एस.एस.ए.आई टावर के निर्माण के प्रस्ताव का सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन किया। अध्यक्ष महोदय ने अतिथि ग्रृह के सरकार/सरकारी एजेंसियों द्वारा सुचारू रूप से और दक्षतापूर्ण प्रचालन की व्यवहार्यता पर शंका प्रकट की। यह सुझाव दिया गया कि इस प्रयोजन के

लिए सरकारी और निजी भागीदारी (पीपीपी) की संभावना खोजी जाए। इन अवलोकनों के साथ प्राधिकरण ने प्रस्ताव का सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन किया।

ग. वार्षिक बजट 2017-18;

(क) प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक बजट पर चर्चा कर उसका अनुमोदन किया।

(ख) प्राधिकरण ने 2017-18 में अनुदान के लिए अनुपूरक मांग के रूप में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से रु. 191.17 करोड़ की अतिरिक्त मांग के प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया। साथ ही राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं के सशक्तीकरण की योजना को जल्दी पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 48.45 करोड़ की अनुदान की अनुपूरक मांग की अनुमोदित तीसरी खेप की शेष राशि की मांग का भी अनुमोदन किया। प्राधिकरण ने नोट किया कि देश में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को विश्वसनीय बनाने के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं का शीघ्र से शीघ्र से अद्यतन करने की आवश्यकता है।

घ. 2016-17 के वार्षिक लेखे; और

प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रस्तुत किए गए लेखों का अनुमोदन और अंगीकरण किया गया।

ङ. विधिक फर्म का पैनलीकरण (पुष्टि के लिए)

प्राधिकरण ने कार्यसूची की इस मद को नोट कर विधिक फर्म के पैनलीकरण की प्रक्रिया की पुष्टि की।

कार्यसूची की मद सं0 23.7

सहभागिताएँ और सम्मिलन

क) निर्यात संवर्धन परिषद् और जी.एफ.एस.पी की सहभागिता से मुम्बई में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र (आई.एफ.एस.टी.सी) की स्थापना

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर निर्यात संवर्धन परिषद् और जी.एफ.एस.पी की सहभागिता से मुम्बई में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र (आई.एफ.एस.टी.सी) की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया और अध्यक्ष महोदय को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए प्राधिकृत किया।

ख) सी.एस.आर. पर व्यय सहित कॉर्पोरेट सहभागिताओं पर दिशा-निर्देश;

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर) तथा अन्य स्वैच्छिक पहलों सहित कार्पोरेट सहभागिताओं (खाद्य और गैर-खाद्य दोनों कारोबार) के लिए दिशा-निर्देशों से संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया। यह नोट किया गया कि ऐसी सहभागिताएँ देश में खाद्य सुरक्षा की साझा जिम्मेदारियों को सशक्त बनाने के लिए अनिवार्य हैं। प्राधिकरण ने इस संबंध में अब तक किए गए कार्यों की सराहना की।

ग) शहरी विकास मंत्रालय के सहयोग से खाद्य स्मार्ट शहर; और

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद को नोट कर अभिसरण की इस पहल की सराहना की। संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने सुझाव दिया कि खाद्य स्मार्ट शहरों के प्रस्तावित ढाँचे में बूचड़खानों, मंडियों इत्यादि को शामिल किया जाए। इस पर सहमति व्यक्त की गई।

घ) संबंधित हितधारकों के सहयोग से खाद्य बेकारी रोकथाम और प्रबंधन तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (अधिशेष खाद्य-प्राप्ति और वितरण) विनियम, 2017 पर मसौदा अधिसूचना

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर खाद्य सुरक्षा और मानक (अधिशेष खाद्य-प्राप्ति और वितरण) विनियम, 2017 पर मसौदा अधिसूचना का अनुमोदन किया। इस पहल की सराहना की गई और प्राधिकरण ने आशा की कि देश में खाद्य बेकारी रोकथाम, प्राप्ति और वितरण का एक सशक्त ईकोसिस्टम शीघ्र स्थापित होगा।

मद सं0 v:

केवल सूचनार्थ कार्यसूची की मदें

1. खाद्य सुरक्षा और अनुप्रयुक्त पोषण पर अनुसंधान
'खाद्य गुणता और सुरक्षा के लिए अनुसंधान एवं विकास योजना' के अंतर्गत चालू अनुसंधान परियोजनाओं पर अद्यतन सूचना

प्राधिकरण ने केवल सूचनार्थ परिचालित कार्यसूची की उपर्युक्त मद को नोट किया।

2. खाद्य सुरक्षा अनुपालन

क) ई-कॉमर्स दिशा-निर्देश/मध्याह्न भोजन पर मार्गदर्शी प्रलेख;

ख) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 16(5) के अंतर्गत जारी किए गए निर्देश

ग) विनियमात्मक स्टाफ के प्रशिक्षण की स्थिति;

घ) केंद्रीय सलाहकार समिति की 18वीं बैठक के कार्यवृत्त - सूचना के लिए; और

ङ) खाद्य आयात सरलीकरण आदेश/निर्णय

प्राधिकरण ने सूचनार्थ परिचालित कार्यसूची की उपर्युक्त मदों को नोट किया।

3. **खाद्य परीक्षण और निगरानी**

क) खाद्य विश्लेषक परीक्षा(एँ);

ख) राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं और रेफरल प्रयोगशालाओं का सशक्तीकरण;

ग) राष्ट्रीय दुग्ध गुणता मॉनिटरिंग सर्वेक्षण;

घ) राष्ट्रीय खाद्य पैकेजबंदी सामग्री सर्वेक्षण।

प्राधिकरण ने सूचनार्थ परिचालित कार्यसूची की उपर्युक्त मदों को नोट किया।

4. **खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण**

खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (फोस्टैक) की स्थिति

प्राधिकरण ने सूचनार्थ परिचालित कार्यसूची की उपर्युक्त मदों को नोट किया।

5. **सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन**

क) सुरक्षित और पोषक आहार पहलों के अंतर्गत प्रगति/किया गया कार्य;

ख) सुरक्षित आहार परोसें; और

ग) ईश को स्वच्छ प्रसाद (भोग)

प्राधिकरण ने सूचनार्थ परिचालित कार्यसूची की उपर्युक्त मदों को नोट किया।

6. **उपभोक्ता पर ध्यान**

क) समर्पित खाद्य स्मार्ट उपभोक्ता पोर्टल की शुरुआत;

ख) जल पोर्टल की शुरुआत;

ग) हेल्पलाइन सुविधाओं की आउटसोर्सिंग;

घ) खाद्य कारोबारों में उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए एस.पी.ओ.सी का प्रशिक्षण

ङ) द्रुत परीक्षण से मिलावटें ज्ञात करें (डार्ट)

प्राधिकरण ने सूचनार्थ परिचालित कार्यसूची की उपर्युक्त मदों को नोट किया।

7. **वैश्विक पहुँच (अद्यतन स्थितियाँ)**

क) विश्व खाद्य सुरक्षा सहभागिता (जी.एफ.एस.पी);

ख) ईयू-सी.आई.टी.डी परियोजना के अंतर्गत गतिविधियाँ;

ग) कोडेक्स के अंतर्गत गतिविधियाँ।

प्राधिकरण ने सूचनार्थ परिचालित कार्यसूची की उपर्युक्त मदों को नोट किया।

8. **प्रौद्योगिकी का सदुपयोग**

क) **आईटी कार्यों का प्रबंधन;**

ख) **खाद्य उत्पाद अनुमोदन प्रणाली;**

ग) **बिग डैटा एनालिटिक्स।**

प्राधिकरण ने सूचनार्थ परिचालित कार्यसूची की उपर्युक्त मदों को नोट किया।

मद सं0 VI: अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से अन्य मदें:

अनुपूरक कार्यसूची

मद सं0 23.VI (1): रेस्टोरेंटों की लाइसेंसिंग अपेक्षाएँ

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 के अंतर्गत रेस्टोरेंटों के लाइसेंस प्रलेखों और शर्तों संबंधी अपेक्षाओं में परिवर्तनों का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

मद सं0 23.VI (2): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (वित्तीय) विनियम, 2017 का मसौदा

यह नोट किया गया कि मसौदा वित्तीय विनियम बनाकर वे अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से मंत्रालय को मसौदा अधिसूचना के लिए भेजे गए थे। प्राधिकरण ने की गई इस कार्रवाई की पुष्टि की।

मद सं0 23.VI (3): कोडेक्स एम.आर.एल के अंगीकरण का प्रस्ताव

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर कोडेक्स एम.आर.एल, पौध संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय इत्यादि द्वारा उपलब्ध कराए गए क्षेत्रीय परीक्षणों के आँकड़ों को ध्यान में रखते हुए और व्यापार में अवांछित प्रतिबंधों को दूर करने के लिए एम.आर.एल. निर्धारण पद्धति का अनुमोदन किया।

मद सं0 23.VI (4): एफ.डी.ए भवन की अवसंरचना में सुधार के लिए किए गए कार्य

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद के साथ संलग्न विवरणों के अनुसार एफ.डी.ए भवन की अवसंरचना में सुधार के लिए किए गए कार्यों को नोट किया।

मद सं0 23.VI (5): प्रकाशन सहभागी

प्राधिकरण ने थोड़ी अथवा शून्य अतिरिक्त लागत से सूचना के व्यापक वितरण के लिए मुद्रण, प्रकाशन और वितरण हेतु प्रतिस्पर्द्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से प्रकाशन सहयोगी चुनने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा किए गए कार्य को नोट किया।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को सूचना के लिए परिचालित कार्यसूची की मदों पर अपनी अतिरिक्त/पूरक सम्मतियाँ, यदि कोई हों, एक सप्ताह के अंदर देने का अनुरोध किया।

बैठक अध्यक्ष महोदय और सभी उपस्थित सहभागियों को धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष

अनुबंध-1

सहभागियों की सूची

क. **प्राधिकरण के सदस्य**

1. श्री आशीष बहुगुणा, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई;
2. श्री पवन कुमार अग्रवाल, सी.ई.ओ, एफ.एस.एस.ए.आई, सदस्य सचिव;
3. श्री के. बिसवाल, संयुक्त सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय;
4. श्री अरुण सिंघल, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली;
5. सुश्री अनुराधा प्रसाद, संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय;
6. श्री संतोष सारंगी, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय;
7. श्री पी.वी.रामाशास्त्री, संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग;
8. श्री आशीष वी. गवई, उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय;
9. श्री डी.डी.के शर्मा, अपर पीपीए, द्वारा संयुक्त सचिव (पीपी), कृषि मंत्रालय;
10. सुश्री मौसमी रॉय, वरिष्ठ निदेशक एवं प्रमुख, फिक्की;
11. सुश्री मीतू कपूर, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, सी.आई.आई;

क. एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारी

1. सुश्री माध्वी दास, सी.एम.एस.ओ
2. श्री सुनील बख्शी, सलाहकार (कोडेक्स)
3. श्री एन. भास्कर, सलाहकार (क्यूए)
4. श्री एस.के यादव, निदेशक (आरसीडी)
5. डॉ. रूबीना शाहीन, निदेशक (आरएआरडी)
6. सुश्री सुनीति टुटेजा, निदेशक (एफ.एस.एम.एस)
7. श्री राज सिंह, प्रमुख (सामान्य प्रशासन/विधि)
8. डॉ. ए.सी मिश्रा, संयुक्त सचिव (मानक)
9. डॉ. ए. के. शर्मा, परामर्शदाता
10. डॉ. एस. सी. खुराना, परामर्शदाता
11. सुश्री अनीता मखीजानी, उप निदेशक (तकनीकी)
12. श्री पी. कार्तिकेयन, सहायक निदेशक (विनियम/कोडेक्स)
13. श्री मनोज कुमार, सहायक निदेशक (वित्त और लेखा)
14. श्री राजेश कुमार, वैज्ञानिक iv(I)
15. डॉ. शेल्वी अग्रवाल, तकनीकी अधिकारी (मानक)
16. सुश्री साक्षी पिपलियाल, तकनीकी अधिकारी (कोडेक्स)